वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(परीक्षा विभाग)

क्रमांक : एफ 5/वमखुवि/परीक्षा/2022/97493 दिनांक 19.10.2022

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद की 65वीं(आपात) बैठक दिनांक 17.10.2022 की अनुशंसाओं पर प्रबन्ध मंडल की 102वीं(आपात) बैठक में हुए अनुमोदन की अनुपालना में आन्तरिक मुल्यांकन के सम्बन्ध में व्यवस्थाओं को कियान्वित करने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं –

विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिनके कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है और जो जून 2020 सत्रांत परीक्षा/दिसम्बर 2020 सत्रांत परीक्षा/जून 2021 सत्रांत परीक्षा/दिसम्बर 2021 सत्रांत परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) में पंजीकृत एवं उत्तीर्ण हैं परन्तु आन्तरिक गृहकार्य के अंकों के अभाव में समेकित परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, उन विद्यार्थियों को उनके द्वारा सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (पत्रों) की परीक्षा में प्राप्त अंकों के 1.5 गुणा आनुपातिक अंक संबंधित प्रश्नपत्र के आन्तरिक गृहकार्य में दिये जाएंगे । उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत गृहकार्य में प्रदान किये जाने वाले अंक किसी भी स्थिति में पूर्णांक से अधिक नहीं होंगे ।

यदि कोई विद्यार्थी इस व्यवस्था से असन्तुष्ट है तो उसे अपने क्षेत्रीय केन्द्र पर पुनः भौतिक रूप से आन्तरिक गृहकार्य जमा करने का अवसर दिया जाएगा । इसके लिये विद्यार्थी को न्यूनतम शुल्क रू. 200/– प्रति प्रश्नपत्र देना होगा । ऐसे प्राप्त आन्तरिक गृहकार्यों के मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थी को अंक प्रदान किये जाएंगे ।

उपर्युक्त दोनों व्यवस्थाएं सत्रांत परीक्षा जून 2022 तक ही लागू रहेंगी ।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, वमखुवि, कोटा
2. कुलसचिव, वमखुवि, कोटा
3. वित्त नियंत्रक, वमखुवि, कोट
4. समस्त विभागाध्यक्ष, वमखुवि, कोटा
5. समस्त क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि, कोटा
6. प्रभारी, ईएमपीसी, वमखुवि, कोटा को प्रति भेजकर लेख है कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें ।
7. श्री राजेश त्रिपाठी, एसएडीएम, वमखुवि, कोटा को प्रति भेजकर लेख है कि इस आदेश के अनुरूप आनुपातिक अंक प्रदान करने हेतु कार्यवाही करें ।
8. रक्षित पत्रावली

B Arun Kumar
परीक्षा नियंत्रक